विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
6(क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ से मोहान जाने वाली रोड से निकले काकोरी मोड़ से काकोरी जाने वाले पी०डब्ल्यू०डी० मार्ग के मध्य से रोड़ के दोनों ओर कितनी भूमि छोड़कर भूखण्ड/भवन बनाये जाने का प्राविधान है?	लखनऊ से मोहान जाने वाली रोड से निकले काकोरी मोड़ से काकोरी तक मार्ग का अभिलेखीय नाम "फतेहगंज काकोरी सकरा बरकताबाद मार्ग" है। यह मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का है। उक्त मार्ग की लम्बाई 16.60 कि०मी० है व लेपित चौड़ाई 3.75 मी0 है तथा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर भूमि की चौड़ाई भिन्न-भिन्न है। मार्ग के मध्य से भूमि की चौड़ाई में सेटबैक (5 मी०) जोड़कर (आई० आर० सी०: 73-2023 के प्राविधानों के अनुसार) सक्षम स्तर (जिलाधिकारी) से अनुमति प्राप्त कर भूखण्ड/भवन बनाये जाने का प्राविधान है।
(ख)	उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुए बतायेंगे कि क्या आबादी परिसर में उक्त प्राविधान में छूट प्रदान की जायेगी?	उपरोक्तानुसार।
(ग)	यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।